

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:-ई-20/मस्वाका/ (सी-248)/09/ 230

दिनांक:- 31/3/09

संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
जोन-जयपुर/जौधपुर/उदयपुर/
भरतपुर/बीकानेर/अजमेर/कोटा

विषय:- ग्रामीण म0स्वा0कार्यकर्ता के पदस्थापन आदेशों पर मा0 उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा रोक लगाये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रामीण म0स्वा0कार्यकर्ता के पदों पर नियुक्ति पर मा0 उच्च न्यायालय में रिट संख्या-2265/09 श्रीमती अन्जना पुत्री श्री रामनारायण एवं अन्य बनाम सरकार एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दिनांक-2.3.09 के द्वारा स्थगन आदेश पारित कर दिया गया है, जिसकी तत्काल पालना किये जाने हेतु आपके परिक्षेत्र के समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पाबन्द कर, पालना रिपोर्ट निदेशालय को भिजवायें।
संलग्न - रूटे आदेश की प्रती।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान,जयपुर।

क्रमांक:-ई-20/मस्वाका/ (सी-248)/09/ 230

दिनांक:- 31/3/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान को तत्काल पालनार्थ

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान,जयपुर।

9

S.B.Civil writ Petition No.2265/2009

Date of order : 02.03.2009

HON'BLE MR.JUSTICE PREM SHANKER ASOPA

Mr. Ram Pratap Saini for petitioners.

Issue notice to the respondents returnable within a week.

Meanwhile any appointments² made on the post of Rural Health worker (Female) in pursuance to the advertisement dated 18.07.2008 (Annexure/1) shall remain stayed subject to the decision of the writ petition.

(PREM SHANKAR ASOPA), J.

Gandhi
140



प्रशासनिक अधिकारी
राज्य सरकार
बाराबंकी

Handwritten signature and date: 03/03/09